–: राजस्थान सरकारः–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–118 / 2022 (जीसीएमएस नं0 2022 / 17)

उनवान –सरकार बनाम 1. दीपक जैन पुत्र श्री भागचंद जैन उम्र 40 वर्ष , जाति जैन, विक्रेता मैसर्सः बजाज फूड प्रोडक्ट्स, मांगरोल रोड, मनियॉ धौलपुर निवासी मांगरौल रोड ,मनियॉ धौलपुर 2. भागचंद जैन उम्र 68 वर्ष , जाति जैन , मालिक मैसर्स : बजाज फूड प्रोडक्ट्स , मांगरोल रोड, मनियॉ धौलपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –25.04.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त दीपक जैन पुत्र श्री भागचंद जैन उम्र 40 वर्ष , जाति जैन, विक्रेता मैसर्सः बजाज फूड प्रोडक्ट्स, मांगरोल रोड, मनियॉ धौलपुर निवासी मांगरोल रोड, मनियॉ धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2022 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः– बजाज फूड प्रोडक्ट्स, मांगरोल रोड, मनियॉ धौलपुर निरीक्षण के दौरान निर्माण ईकाई गोदाम में रखे लगभग 400 किलोग्राम स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) में मिलावट का शक होने पर उक्त स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) को 2 किलोग्राम स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) नमूना डी–2592 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 1017 / एक्ट / 2022 / 1018 दिनांक 17.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) मिथ्याछाप (Misbrand) प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिथ्याछाप (Misbrand) स्पेशल मिक्स केक (गोपी गोपाल) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिथ्याछाप (Misbrand) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार :—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—118 / 2022 उनवानी सरकार बनाम दीपक जैन वगैरा

(2)

अतः श्री दीपक जैन पुत्र श्री भागचंद जैन उम्र 40 वर्ष , जाति जैन, विक्रेता मैसर्स बजाज फूड प्रोडक्ट्स, मांगरोल रोड, मनियाँ धौलपुर निवासी मांगरोल रोड ,मनियाँ धौलपुर 2. भागचंद जैन उम्र 68 वर्ष , जाति जैन , मालिक मैसर्स : बजाज फूड प्रोडक्ट्स , मांगरोल रोड, मनियाँ धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 2,00,000 / —रुपये (दो लाख रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज)

मु0नं0—118 / 2022

(जीसीएमएस नं0 2022 / 17)

Scanned with OKEN Scanner